


13/12/18

संख्या- १०८/२०१८/१०८

108



PBR/गिरानी/होशंगाबाड/मुम्बई/2018/0368

श्री प्रदीप विरेश वाघेगाव
द्वारा 26-12-18 का
वेद्य अपील संख्या 108/2018

1. संजुनबाई पापन स्व. जोलापट्टारी कर्मा
2. वसंत कर्मा आ. स्व. जोलापट्टारी कर्मा
3. केशीनारायण आ. स्व. जोलापट्टारी कर्मा
4. रामेश कर्मा आ. स्व. जोलापट्टारी कर्मा
5. रामकुमार आ. स्व. जोलापट्टारी कर्मा
6. अनूप कर्मा आ. स्व. जोलापट्टारी कर्मा
7. कृष्णराव आ. स्व. जोलापट्टारी कर्मा

मुंबई न्यायाधीश न्यायिका जिला होशंगाबाद

9. रामकृष्ण आ. स्व. श्री ली ली

मुंबई न्यायाधीश न्यायिका जिला होशंगाबाद

9. श्यामकुमार आ. स्व. श्री ली ली

मुंबई न्यायाधीश न्यायिका जिला होशंगाबाद

10. नरेंद्र कुमार आ. स्व. श्री ली ली

मुंबई न्यायाधीश न्यायिका जिला होशंगाबाद

11. महेश कर्मा आ. स्व. श्री ली ली

मुंबई न्यायाधीश न्यायिका जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद ----- आदेश देणारा.

जमा

श्री दीप कर्मा आ. श्यामकुमार कर्मा

मुंबई न्यायाधीश न्यायिका जिला होशंगाबाद

मुंबई न्यायाधीश न्यायिका जिला होशंगाबाद

----- जमा देणारा.

रिजीजन अर्थात धारा 50 संप्रभूरासहिता.



आवेदनगत यह पुनरीक्षण या चिका श्रीमान अमर
 आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग डोंग्याबाद द्वारा रा.अ. क्रं.-246/
 अपील /2016-17 में शकुनबाई वस अन्य बनाम संदीप में भारत
 आदेश दिनांक 23.11.17 जो कि अनुविभागीय अधिकारी डोंग्याबाद
 द्वारा 26.8.16 द्वारा प्र.क्रं. 50/अपील/2013-14 शकुन बाई
 +0 अन्य बनाम संदीप में भारत आदेश व तहसीलदार डोंगरिका
 द्वारा रा.प्र.क्रं. 33/6 वर्ष 2012-13 दिनांक 3.6.14 से उत्पन्न
 हुआ है के विरुद्ध ~~असंतुष्ट~~ असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार पर
 एवं कारण पर प्रस्तुत करता है।



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/0368

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
30-1-2019	<p>अनावेदक की ओर से श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित । तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदकगण अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अतः प्रकरण आवेदकगण की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p> सुकर</p> <p> अध्यक्ष</p>	